प्रतिवेद्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपील अधिकारिता

सिविल अपील सं. 5110 वर्ष 2021

सुघार सिंह ... अपीलार्थी(गण)

बनाम

हरि सिंह (मृत) एलआर के माध्यम से और अन्य ... प्रतिवादीगण

नि.र्ण.य

माननीय न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपील–2 संख्या 836 वर्ष 2010 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 09.09.2010 से दुःखी और असंतुष्ट मूल वादी ने वर्तमान अपील दायर किया है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी.पी.सी.") की धारा 100 के तहत उक्त अपील–2 को अनुज्ञात कर दिया है और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पुष्ट करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए निर्णय और डिक्री को रद्द कर अपास्त कर दिया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः

2. 1 यह कि, राम सिंह ने मूल वादी सुघर सिंह के पक्ष में वाद की भूमि को कुल रु. 56,000/– में विक्रय हेतु विक्रय के करार का निष्पादित किया –

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निष्पादक द्वारा करार के समय प्रतिफल के एक भाग के रूप में रू. 25,000/– प्राप्त किया गया। दिनांक 10.10.1976 उक्त विक्रय के करार का निष्पादन किया गया था। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि सुसंगत समय पर विक्रय के करार का पंजीकरण कराना जरूरी नहीं था। विक्रय के करार के मुताबित बिक्री विलेख का निष्पादन 2 वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाना था। 2 वर्ष की समय अवधि को विक्रेता की पहल पर प्रपत्र दिनांकित 30. 09. 1978 और दिनांकित 29.09.1981 द्वारा विस्तारित किया गया था। इसके उपरान्त, रू.15,000/– की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। विक्रेता बिक्री विलेख के निष्पादन के समय बकाया रकम रु. 16,000/– स्वीकार करने को सहमत हुआ जो अनुलग्नक पी–3 है। विक्रय के प्रतिफल के रूप में भागतः रु. 40,000/– प्राप्त करने और विक्रय के करार के निष्पादन के बावजूद, मूल विक्रेता ने दिनांक 23.06.1984 को वाद भूमि की विक्रय विलेख को प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पक्ष में निष्पादित किया। यह कि, इसके उपरान्त सुधीर सिंह– क्रेता ने विद्वान सिविल जज, मथुरा सिटी, मथुरा (संक्षेप में 'विद्वान विचारण न्यायालय') के समक्ष विक्रेता राम सिंह और अन्य के विरूद्ध सिविल वाद सं. 254 वर्ष 1984 दायर किया।जिन व्यक्तियों के पक्ष में बाद में दिनाक 23.06.1984 को विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था, उन्हें प्रतिवादी सं. 2 से 5 के रूप में भी अभियोजित किया गया था। वादपत्र में यह कहा गया कि यह विशिष्ट मामला था कि प्रतिवादी सं . 2 – 5 प्रतिवादी सं. 1 के सगे भतीजे हैं और प्रतिवादी सं. 2 – 5 और उनके पिता प्रतिवादी सं. 1 अपने नियंत्रण कर लिये थे और उस बचाव पक्ष सं. 2 – 5 और उनके पिता को विक्रय विलेख के रूप में एक नकली दस्तावेज मिला है जिसको दिनांक 23.06.1984 को प्रतिवादी सं.1 द्वारा उनके पक्ष में प्रतिफलरहित निष्पादन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया गया यद्यपि वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय के करार के बारे में उनको पूर्ण जानकारी थी।

2. 2 यह कि, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर इस वाद प्रतिवाद किया जिसमें दिनांक 10.10.1976 को विक्रय के करार के शीघ्र निष्पादन और दिनांक 30.09.1978 और दिनांक 29.09.1981 के कथित समय विस्तार से संबंधित प्रस्तुत दोनों दस्तावेजों से इंकार कर दिया। उन्होंने करार के समय रु. 25,000/– की राशि प्राप्त करने और उसके बाद बिक्री के प्रतिफल के भाग के रूप में कथित दो समय विस्तार पर क्रमशः रु. 8000/– और रु. 7000/– प्राप्त करने से भी इनकार किया।

2. 3 यह कि, प्रतिवादी सं. 2–5 ने अपना–अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि उन्होंने दिनांक 23.06.1984 पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा सप्रतिफल पूर्वोक्त भूमि के सद्भावनापूर्वक क्रय किया है और उन्हें दिनांक 10.10.1976 को हुए करार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

2. 4 विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित विवाद्यकों को विरचित किया–(1) क्या प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 10.10.1976 को 25,000/– रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त कर रु. 56,000/– में विवादित भूमि (कागज सं. 7–ए) के विक्रय का करार का निष्पादित किया था?

(2) क्या उक्त विक्रय के करार के तहत प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 30.09.1978 (कागज सं. 8–ए/1) को रु. 8000/– और दिनांक 29.09.1981 को रु. 7000/– का भुगतान किया गया है?

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(3) क्या वादी विक्रय के करार की शर्तों के अनुसार विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए सदैव तैयार और ईप्सित रहा है और क्या अभी भी तैयार और ईप्सित है। यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या है?

(4) क्या प्रतिवादी सं. 2 – 5 पूर्वोक्त करार की सूचना के बिना प्रतिफल देकर सद्भावनापूर्वक विवादित भूमि का क्रय किया है?

(5) वादी किस प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी है? "

2. 5 वादी की ओर से 6 साक्षियों की परीक्षा की गई। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य को भी प्रस्तुत किया।

बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाहों की जांच की गई और दस्तावेजी साक्ष्य भी अभिलेख पर लाए गए।

2. 6 विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन कर को वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरूद्ध विवाद्य सं . 1 और 2 विरचित किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी सं. 1 ने दिनाक 10.10.1976 को अपनी संपत्ति कोरु. 6,000/– और रु. 25,000/– अग्रिम भुगतान कर रू. 56000/– में बेचने के लिए वादी के पक्ष में विक्रय के करार का निष्पादित किया था। दस्तावेजों के अनुसार इसकी वैधता को दो बार दिनांक 30.09.1978 रु. 8000/– प्राप्त कर और दिनांक 29.09.1981 को रु. 7000/– प्राप्त कर बढ़ाया गया।

2. 7 विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की मूल्यांकन कर वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरूद्ध विवाद्य सं. 4 धारित किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

साक्ष्यों का मूल्यांकन विशेष रूप से धारित किया कि प्रतिवादी सं. 2 – 5 को वादी के पक्ष में विक्रय के करार के निष्पादन के बारे में पता था जब उनके पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन किया गया । विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 1 को दिया बिक्री के प्रतिफल के भुगतान पर भी संदेह जताया।

2. 8 विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन कर विवाद्य–3 को वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरूद्ध विरचित किया और यह निष्कर्ष निकाला कि वादी हमेशा करार के नियमों और शर्तों के अनुसार विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए तैयार और ईप्सित था और वादी ने यह भी साबित किया कि वादी ने करार की शर्तों के अनुसार कार्य किया है।

फलस्वरूप, वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरूद्ध सभी विवाद्यकों को विरचित करने के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.02.1987 को निर्णय पारित कर वाद पर आज्ञप्ति जारी किया और प्रतिवादी–1 को निर्देश जारी किया कि आयकर विभाग से आयकर प्रमाण पत्र और रु. 6,000/– (शोध्य बिक्री प्रतिफल) प्राप्त होते ही वह दो महीने के भीतर बिक्री विलेख का निष्पादित करे। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित कर कहा कि प्रतिवादी सं. 2 – 5 प्रतिवादी सं. 1 के साथ बिक्री विलेख के एक पक्षकार हैं।

2. 9 यह कि, जैसा कि प्रतिवादियों ने न तो अपील दायर किया और न ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के अनुसार कार्य किया इसलिए वादी ने दिनांक 07.02.1987 को निर्णय और डिक्री दिनांकित 29.08.1987 के निष्पादन के लिए निष्पादन वाद सं. 11 वर्ष 1987 दायर कर दिया। विद्वान निष्पादन न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 20.09.1987 को वादी ने शेष राशि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रु. 6,000/– का भुगतान कर दिया। दिनांक 20.09.1989 को मूल प्रतिवादी सं. 1–राम सिंह की मृत्यु हो गयी। यह कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पारित करने की तारीख से लगभग 9 साल के बाद मूल प्रतिवादी सं. 2 – 5 ने विद्वान प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील दायर किया। विद्वान प्रथम अपील न्यायालय ने दिनांक 24. 08. 1998 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील को खारिज कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की।

2. 10 विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आदेश एवं निर्णय जिसमें अपील को खारिज कर दिया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को पुष्ट कर दिया गया है, इस बात से दुखी और असंतुष्ट मूल प्रतिवादी सं. 2 – 5 ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील सं. 1388 वर्ष 1998 दायर किया।

उच्च न्यायालय ने अवधारित करने के लिए दो बिन्दु तय किए–(1) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16 (सी) के प्रावधानों का इस आशय से पालन न करना (संक्षेप में "अधिनियम") कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि वह करार के अपने भाग का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और ईप्सित था; और (2) उ.प्र. अधिनियम संख्या 57 वर्ष 1976 के दृष्टिगत दिनांक 10.10.1976 को बेचने के लिए अपंजीकृत समझौते के अनुसार बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए समय के दो विस्तार के गैर–पंजीकरण के प्रभाव के संबंध में और विधिसम्मत इस मामले को हल करना।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 26. 10. 2007 को निर्णय और आदेश पारित कर प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया और इस विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु वादी की तत्परता एवं ईप्सा के संबंध में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विवाद्य–3 पर नये सिरे से निर्णय करने और संपत्ति अधिनियम अधिनियम 1976 (अधिनियम संख्यांक 57) की धारा धारा 54 में किये गये संशोधन के दृष्टिगत विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए समय विस्तारित कर दो प्रपत्रों के अपंजीकरण के प्रभाव के संबंध में अतिरिक्त विवाद्यकों विरचित करने के लिए और इसको विधिसम्मत हल करने हेतु इन मामले को प्रथम अपील न्यायालय के पास भेज दिया गया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 12. 11. 2008 को स्पष्टीकरण आदेश पारित कर विशेष रूप से अवलोकन कर स्पष्ट किया कि इस मामले को विवाद्य–3 और केवल उपरोक्त अतिरिक्त विवाद्यों पर नये सिरे से निर्णय लेने के लिए अपील न्यायालय के पास प्रतिप्रेषित कर दिया गया है और इस मामले में प्रथम अपील न्यायालय के निष्कर्षों में न तो छेड़छाड़ किया जाएगा और न ही उसे अपास्त किया जाएगा।

2. 11 यह कि तदोपरान्त मामले के प्रेषित होने पर विद्वान प्रथम अपील न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशानुसार विवाद्य सं. 3 पर पुनर्विचार कर वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध निर्णय पारित किया और प्रथम अपील न्यायालय ने विशेष रूप से यह मत व्यक्त कर धारित किया कि अधिनियम की धारा 16 (ग) के अधीन वाद में यथाअपेक्षित कथन किया जाना जरूरी था। अतिरिक्त विवाद्य पर विद्वान प्रथम अपील न्यायालय ने कहा किया कि पंजीकरण के सुसंगत प्रावधानों पर विचार किया जाना जरूरी नहीं था। फलस्वरूप, विद्वान प्रथम अपील अदालत ने विवाद्य सं. 3 और 6 को वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरूद्ध अभिनिर्णीत कर अपील को खारिज कर दिया और पुनः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि कर दिया गया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. 12 विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित विनिर्दिष्ट पालन के लिए पारित निर्णय और डिक्री जो कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुष्ट है, से व्यथित और असंतुष्ट मूल प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपील किया है जिसे उच्च न्यायालय ने अनुज्ञात कर दिया है और उच्च न्यायालय ने दोनों निचली अदालतों द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर एवं अपास्त कर दिया है और निर्णय और डिक्री को केवल इस आधार पर उलट दिया है कि अधिनियम की धारा 16 (ग) के अधीन यथापेक्षित वाद में कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं किया हैं और तत्परता और ईप्सा दोनों के संबंध में वाद में कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं किया गया हैं।

2. 13 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल वादी ने वर्तमान अपील दायर किया है।

3. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कर्नल बालासुब्रमण्यम –मूल वादी ने कथन किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत द्वितीय अपील को अनुज्ञात कर गंभीर त्रुटि कारित किया है और जहां तक तत्परता और ईप्सा और अधिनियम की धारा 16 (सी) का अपालन का प्रश्न है उच्च न्यायालय ने दोनों निचली अदालतों द्वारा अभिलिखित समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त कर त्रुटि कारित किया है।

3. 1 मूल वादी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कथन किया है कि कि भले ही उच्च न्यायालय ने यह तर्क देकर निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिनियम की धारा 16 (ग) की शर्तों के अपालन की दशा में इस वाद को असफल हो जाना

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

चाहिए, विधिसम्मत नहीं है। यह कथन किया जाता है कि तत्परता और ईप्सा के निर्धारण करने के लिए इस न्यायालय द्वारा धारित सुस्थापित विधि के अनुसार वाद को समग्रता से पढ़ा जाना चाहिए 'तत्परता और ईप्सा' का सार और तत्व उसके मूल भाव में होना चाहिए न कि उसके शब्द और रचना में।

3. 2 आगे यह कथन किया गया है कि वर्तमान मामले में वादी ने विशेष रूप से वादी के पैराग्राफ 1 से 4 में और पैरा 11 में निवेदन किया कि वह विक्रय विलेख का निष्पादन कराने और उसको पंजीकरण कराने और करार के अपने हिस्से का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और ईप्सित था, लेकिन प्रतिवादी–1 ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसलिए, उसे मुकदमा दायर करना पड़ा।यह कथन किया गया है कि चूँकि उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड किया गया निष्कर्ष अभिलेख से मेल नही खाता है और इसलिए, विकृत है।

3. 3 इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कथन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से मूल्यांकन नहीं किया है कि वास्तव में विक्रय का प्रतिफल रु. 56,000/– में से रु. 40,000/– का भुगतान पहले ही कर दिया गया था और केवल रु. 16,000/– का भुगतान किया जाना शेष था, जिसका भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन के समय किया जाना था, जिसको विक्रेता ने प्रपत्र अनुलग्न–3 में स्वीकार किया। यह कथन किया गया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी करार के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और ईप्सित नहीं था।

3. 4 इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि यह भी मान लिया जाए कि प्रस्तुत अभिवचन निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं हैं इसलिए यह **सैयद दस्तगीर बनाम**

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

टीआर गोपालकृष्ण सेट्टी (1999) 6 एस.सी.सी. 337 के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत इसको पोषणीय नहीं बनाता है।

3. 5 इसके अतिरिक्त यह कथन किया गया है कि इस तरह की तत्परता का प्रश्न कई बार उठाया गया है और वादपत्र में में आवश्यक अभिवचन कर प्रदर्शित किया गया। यह कथन किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि वादी ने केवल अपनी तत्परता के बारे में कहा है और अपने दायित्व को निभाने की अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं किया है और यह प्रपत्र पी – 3 की सामग्री की अवहेलना करता है जिसमें विक्रेता बिक्री विलेख निष्पादित करने के समय रुपये 16,000/– प्राप्त करने पर राजी हुआ था और वादपत्र में भी विनिर्दिष्ट रूप से यह कहा गया था कि वादी उप–पंजीयक कार्यालय गया था और विलेख निष्पादित करने के लिए विक्रेता से कहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया।

3. 6 इसके अतिरिक्त यह कथन किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा 20 के लिए परंतुक की प्रयोज्यता पर वादी पर मुकदमा न चलाने में भी गलती कारित किया है। यह कथन किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन करने में गलती कारित किया है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान करना आज्ञापक नहीं है बल्कि विवेकाधिकार पर है। यह कथन किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने जो तर्क दिया है कि यद्यपि विक्रय का करार साबित हो गया है और प्रतिफल का बड़ा भाग का भुगतान कर दिया गया है और तत्परता और ईप्सा भी साबित कर दिया गया है फिर भी यह कहना कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए आज्ञप्ति जारी करना विकाधिकार पर आधारित है विधि में पोषणीय नहीं है। यह कथन किया जाता है कि यदि ऐसी व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो उस स्थिति में, किसी भी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मामले में, विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री पारित नहीं की जाएगी।यह कथन किया जाता है कि अनुतोष का प्रदान न किया जाने के विवेकाधिकार का प्रयोग पक्षकारों के आचरण के विरूद्ध नहीं किया जा सकता है। यह कथन किया जाता है किविवेकाधिकार का प्रयोग हर बार यथोचित और तर्कसंगत रूप से प्रयोग किया जाना है।

3. 7 इसके अतिरक्त यह कहा गया है कि अन्यथा प्रतिवादी सं.–1 द्वारा निष्पादित विक्रय के करार का ज्ञान होने के बावजूद प्रतिवादी विशेष रूप से प्रतिवादी सं. 2 से 5 तक के आचरण को देखते हुए विक्रय विलेख को उनके पक्ष में निष्पादित करने के लिए वादी का पक्ष और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक प्रतिफल का किया गया भुगतान भी संदिग्ध है और साबित नहीं होता है, विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री प्राप्त करने में अधिनियम की धारा 20 वादी के रास्ते में नहीं आएगी।

यह कहा जाता है कि इन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 20 लागू नहीं होगी और/या बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगी।

3. 8 आगे यह कहा गया है कि इस प्रकार तत्परता और ईप्सा पर दोनों निचली अदालतों द्वारा अभिलिखित तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष मौजूद थे जो साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित था। उच्च न्यायालय को सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त नहीं करना चाहिए।

3.9 आगे यह कथन किया गया है कि अधिनियम की धारा 20 की प्रयोज्यता पर विद्वान विचारण न्यायालय या प्रथम अपील न्यायालय द्वारा कोई विवाद्य भी विरचित नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत उस

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विषय पर पहली बार द्वितीय अपील में विचारित कर निस्तारण किया है जिस पर पूर्णरूपेण अनुमति नहीं है और यह सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के क्षेत्र और दायरे से परे है।

उपरोक्त कथन कर एवं उपरोक्त निर्णयों पर अवलम्ब लेकर यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान अपील को अनुज्ञात कर दिया जाए।

4. प्रतिवादी सं. 2 से 5 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद स्वरूप द्वारा वर्तमान अपील पर कड़ा विरोध जताया गया है।

4. 1 यह कथन किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने वाद को ठीक ही अपास्त कर दिया है और वादी के पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष प्रदान करने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि वादपत्र में अधिनियम की धारा 16 (सी) के तहत यथाअपेक्षित कथन नहीं किया गया था।

4. 2 यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने तत्परता और ईप्सा के बीच समुचित अंतर बताया है। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा तत्परता और ईप्सा पर युक्तिसंगत कारण बताय गया हैं। यह कथन किया जाता है कि अधिनियम की धारा 16 (सी) का अपालन वादी के मामले के लिए घातक है और इसलिए, वादी विनिर्दिष्ट पालन हेतु डिक्री का विवेकाधिकार पर आधारित अनुतोष पाने का हकदार नहीं है।

4. 3 इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि अन्यथा भी उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में बिल्कुल न्यायसंगत है कि अधिनियम की धारा 20 के दृष्टिगत, विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री विवेकाधिकार पर आधारित है। यह कथन किया जाता है कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इसलिए उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि दिनांक 23.06.1984 से अंतरिती को जो भुगतान उन्होंने कर दिया था, वादी को 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 40,000/– की राशि वापस करे। यह कथन किया जाता है कि इस प्रकार प्रत्यर्थीगण– प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने दिनांक 11.10.2010 को रु 1,24,135/– बैंक में जमा कर दिया था, तथापि वादी ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संगणित उस धन को लेने से इनकार कर दिय था।

4. 4 इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 2 से 5 की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री स्वरूप द्वारा कथन किया गया है विक्रय के करार को दिनांक 10.10.1976 को वापस निष्पादित किया गया था और अब तक 45 से अधिक साल बीत चुके हैं और प्रतिवादी सं. 2 से 5 कई वर्षों से कब्जे में हैं, इसलिए, यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बहाल किया जाता है, तब प्रतिवादी सं. 2 से 5 को वाद भूमि को खाली करना होगा और इससे प्रतिवादी सं. 2 से 5 को अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 20 के दृष्टिगत, मा. न्यायालय से यह निवेदन किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप न किया जाए जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा साम्यिक अनुतोष प्रदान किया गया है।

उक्त कथन कर यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

5. मुकदमें के पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5. 1 सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलकर्ता – मूल वादी ने दिनांक 10.10.1976 को विक्रय के करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दायर किया था। प्रथम अपील न्यायालय सहित विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में आज्ञप्ति पारित किया। विद्वान विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपील न्यायालय ने वादी के पक्ष में सभी विवाद्यको वादी के पक्ष में अवधारित किया जिसमें यह विवाद्य सम्मिलित है कि वादी करार के अपने हिस्से के पालन के लिए सदैव तैयार और ईप्सित था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निचली दोनों अदालतों द्वारा अभिलिखित की गई समवर्ती निष्कर्षों को मुख्य रूप से / पूरी तरह से इस आधार पर उलट दिया है कि वादपत्र में अधिनियम की धारा 16(सी) के तहत यथाअपेक्षित कोई विशिष्ट कथन नहीं किया गया हैं। उच्च न्यायालय ने भी अपील की अनुमति दी है और परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए अनुतोष प्रदान करना अधिनियम की धारा 20 के तहत न्यायालय के विवेकाधीन है और भले ही विक्रय का करार का निष्पादन साबित हो गया है और वादी को विक्रय के करार के तहत करार के दायित्व के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए सदैव तैयार और ईप्सित पाया गया था, विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री स्वचालित नहीं है और इस तरह की डिक्री का प्रदान किया जाना न्याय, साम्या और सद्वविवेक के सिद्धांतों पर निर्भर है।

6. अब, जहां तक अधिनियम की धारा 16(सी) के प्रावधानों का पालन न करने पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी का प्रश्न है, वादपत्र के अभिवचनों पढ़ने के उपरान्त यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 16 (सी) के अनुसार अभिकथन/

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अभिवचन में किसी प्रकार की कमी है। तत्परता और ईप्सा पर आवश्यक कथन और अभिवचन निम्नानुसार पढ़े जाते हैं:

"2. यह कि जब दो वर्ष पूरे होने वाले थे, तब प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 31.10.1981 तक तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया और शेष राशि में से 8000/– रुपये स्वीकार भी लिया। प्रतिवादी सं. 1 वादी का ससुर है और इस वजह से वादी उससे सभी प्रकार के समझौता करने के लिए तैयार था। वादी ने दिनांक 30.09.1978 को प्रतिवादी–1 को 8000/– रुपये दिए और वादी और प्रतिवादी–1 के बीच निष्पादन के लिए समय को दिनांक 31.10.1981 तक बढ़ा दिया गया। प्रतिवादी–1 ने करार की तारीख को विधिसम्मत लिखवाकर इस पर अपने अँगूठे का निशान लगाया और इसे वादी को दे दिया।

3. यह कि प्रतिवादी–1 दिनांक 31.10.1981 तक भी अपनी जमीन को बैंक ऋण से मुक्त नहीं कर सका क्योंकि उसका भाई रणजीत सिंह भी उस ऋण में शामिल था और वह पूरी तरह से अपना हिस्सा नहीं देना चाहता था और इस कारण से, प्रतिवादी–1 ने निष्पादन के लिए समयावधि को और बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि बैंक ऋण को मंजूरी मिल सके और भूमि सभी देनदारियों से मुक्त हो जाए और इसक सम्पत्ति को वादी के नाम पर निष्पादित और पंजीकृत किया जा सके। यह कि प्रतिवादी–1 और वादी की पत्नी के बीच बहुत अधिक प्यार और स्नेह था, जो प्रतिवादी–1 की पुत्री है, वादी प्रतिवादी–1 हर तरह से समझौता करने को तैयार हो गया और इस कारण से, वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और दिनांक 31.10.1984 तक निष्पादन और पंजीकरण की तारीख बढ़ा दिया और प्रतिवादी को शेष धनराशि में से 7000/– रुपये भी दे दिया। इस

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तरीके से, भूमि के करार की कुल धनराशि रु . 56,000/– में से, रु. 40,000/– पहले से ही प्रतिवादी–1 तक पहुंच गया था और वादी द्वारा भुगतान किए जाने के लिए केवल रु. 16,000/– शेष था। प्रतिवादी–1 ने इसको वादी को दिनांक 29.09.1981 को लिखित रूप में दे दिया।

4. यह कि वादी बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत कराने और करार नियमों और शर्तों के अपने करार के अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तैयार और ईप्सित रहा है और आज भी है और यह बात प्रतिवादी–1 के पूर्ण ज्ञान में है।

8. यह कि वादी को उपरोक्त करार के संबंध में अधिवक्ता श्री महेश चंद्र चतुर्वेदी द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से भी नोटिस भेजवाया गया और उसे चेतावनी दिया गया कि वह वादी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर निष्पादन और पंजीकरण नहीं कराएगा। जल्दबाजी में, नोटिस में कुछ गलतियाँ हुई हो गयी थीं।

11. यह कि प्रतिवादी–1 को उप–पंजीयन कार्यालय, चट्टा आकर उपरोक्त करार के संबंध में, वादी के नाम पर विवादित भूमि को निष्पादित कराकर और पंजीकरण कराने और उसका कब्जा देने कहा गया था और प्रतिवादी 2–5 को यह भी कहा गया कि क्योंकि उन्हें अपने पक्ष में गलत विक्रय विलेख का पंजीकरण कराया इसलिए उन्हें वादी के पक्ष में निष्पादन और पंजीकरण में प्रतिवादी –1 के साथ भी शामिल करवाना चाहिए। लेकिन प्रतिवादी–1 ने कहा कि क्योंकि प्रतिवादी 2–5 और उनके पिता उसे मना कर रहे हैं और वह उनके इच्छा के विरूद्ध नहीं जा सकते हैं, वह निष्पादन और पंजीकरण नहीं कर सकते हैं और प्रतिवादी 2–5 भी ऐसा करने से इनकार करते हैं अथवा निष्पादन और पंजीकरण कराने के लिए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रतिवादी–1 के साथ शामिल हो जाते हैं और इस कारण से, वादी को वर्तमान वाद को संस्थित करने के लिए मजबूर हो जाता है। "

6. 1 वादी ने अपने बयान में कहा है कि यह विशिष्ट मामला था कि उसने शुरू में विक्रय के प्रतिफल के तौर पर रु. 25,000/– का भुगतान किया गया था और विक्रय विलेख को दो साल की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाना था। यह कि इसके उपरान्त राम सिंह, जो कि वादी का ससुर है, के निवेदन करने पर उस अवधि को बढ़ा दिया गया। समयावधि को दिनांक 31.10.1984 तक बढ़ा दिया गया और फिर वादी ने राम सिंह को रुपये 7000/– का अतिरिक्त भुगतान किया, जिसके लिए दस्तावेज भी निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, समय–समय पर, कुल विक्रय प्रतिफल की कुल धनराशि रू. 56,000/– में से कुल रु. 40,000/– का भुगतान किया गया। अंतिम निष्पादित दस्तावेज के अनुसार, जिसे निचली सभी अदालतों द्वारा भी साबित किया गया है, विक्रय विलेख के निष्पादन के समय शेष धनराशि रु. 16,000/– का भुगतान किया जाना था। बयान में विशेष रूप से यह कहा गया कि वह विक्रय के करार की शर्तों में अपने दायित्व के तहत अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और ईप्सित था और यह तथ्य राम सिंह को पता था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने वादी के विरूद्ध तत्परता और ईप्सा के संबंध में इस विवाद्य को पूरी तरह से इस आधार पर विरचित करने में गंभीर त्रुटि कारित किया है कि अधिनियम की धारा 16 (सी) के तहत अपेक्षित वादपत्र में कोई विशिष्ट कथन/अभिवचन नहीं किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शुरू में विक्रय के करार के निष्पादन के समय रु. 25,000/– का भुगतान किया गया था और आगे की दो

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किस्तों में रु. 15,000/– का भुगतान उस समय किया गया था जब समयावधि के विस्तार के लिए उत्तरवर्ती दो दस्तावेजों को निष्पादित किया गया था और यहां तक कि समयावधि को प्रतिवादी–1 की पहल पर बढ़ाया गया था और विक्रय विलेख के निष्पादन के समय शेष धनराशि रु. 6,000/– का भुगतान किया जाना था, यह कहा जा सकता है कि वादी विक्रय के करार के तहत करार के अपने भाग का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और ईप्सित था।

इस स्तर पर, करार की आवश्यक शर्तों को पूरा करने की तत्परता और ईप्सा पर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) के तहत आवश्यक दलीलों पर सैयद दस्तगीर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

इस मामले में मा. न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) की आवश्यक तत्वों और इसके स्पष्टीकरण की व्याख्या के लिए "तत्परता और ईप्सा" की याचिका को कैसे समझा जाए। अनुच्छेद 9 में इसे निम्नानुसार धारित किया गया हैः

> **"9. इसलिए सम्पूर्ण विवाद का सार यह है कि विशेष रूप से धारा 16 (सी) के संदर्भ में दायर किसी याचिका का अर्थ कैसे लगाया जाए और वादी को अपनी याचिका के संदर्भ में किन दायित्वों का पालन करना पड़ता है और क्या वादी के कथन का अर्थ उक्त धारा की अपेक्षाओं को पुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता था, अथवा क्या इस धारा में विशिष्ट शब्दों के कथन किये जाने की आपेक्षा है कि वह करार के अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तैयार और ईप्सित रहा है और अभी भी तैयार और ईप्सित है। किसी भी वाद में जो अभिवचन प्रस्तुत किया जाता है उसका अर्थ लगाने में अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि**

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एक अभिवचन कला और विज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि शब्दों के माध्यम से एक अभिव्यक्ति है जो किसी के मामले के तथ्य और कानून को अनुतोष प्रदान करने के लिए अवधारित करती है। ऐसी अभिव्यक्ति सटीक, स्पष्ट या कभी–कभी अस्पष्ट भी हो सकती है किन्तु पूरे अभिवचन को पढ़ने पर उस बात का आशय लिया जा सकता है जो वह कहना चाहता है, जो अभिवचन लिखने वाले व्यक्ति पर निर्भर होता है। भारत में अधिकांश अभिवचन वकील द्वारा तैयार किया जाता है इसलिए इसमें इनमें भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार, किसी अभिवचन की मूल भावना को जानने के लिए इसे समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए।यह विधि द्वारा अपेक्षित किसी वयक्ति को अपने दायित्वों को निभाने से विचलित नहीं करता है।लेकिन यह जांचने के लिए कि क्या उसने अपने दायित्वों का पालन किया है, किसी को अभिवचन के मूल भावना को देखना होगा।जहां किसी विधि में किसी भी तथ्य का अभिवचन किये जाने की आवश्यकता होती है, तो उसका किसी भी रूप में अभिवचन किया जाना चाहिए।समान अभिवचन अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा अलग –अलग शब्दों के माध्यम से किया जा सकता है फिर इसे केवल किसी विशेष नामकरण या शब्द में कैसे सीमित किया जा सकता है।

जब तक किसी विधि में विशेष रूप में कथन किये जाने की अपेक्षा न हो, तब तक यह किसी भी रूप में हो सकता है। अभिवचन में किसी विशिष्ट वाक्यांश या भाषा की अपेक्षित नहीं है। धारा 16 (सी) में में प्रयुक्त भाषा किसी विशिष्ट वाक्यांश की अपेक्षा नहीं करती है, लेकिन वादी को यह बताना चाहिए कि उसने करार के अपने भाग का पालन किया है या हमेशा तैयार और ईप्सित रहा है। इसलिए "तत्परता और ईप्सा" अनुपालन भावना और सार में होना चाहिए न कि अक्षर और रूप में। इसलिए किसी क़ानून के सटीक शब्दों के यांत्रिक प्रस्तुति के लिए जोर देना सार के बजाय प्रारूप के लिए जोर देना है।इसलिए प्रारूप की अनुपस्थिति उसके मूलभाव को भंग नहीं कर सकता है, यदि उसका अभिवचन पहले से किया गया हो।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7. यह उल्लेख किया जाना अन्यथा भी आवश्यक है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से विदित होता है कि वादी की तरफ से तत्परता और ईप्सा से संबधित समवर्ती निष्कर्ष मौजूद थे जिनको विद्वान विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपील न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया गया। इसलिए, सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को तथ्य से संबंधित ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसे निष्कर्ष विकृत न हों।वादी की ओर से तत्परता और ईप्सा पर विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को पढ़ने के बाद, हम मानते हैं कि अभिलिखित किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के प्रति विकृत और/या विपरीत नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत उच्च न्यायालय ने तत्परता और ईप्सा के बिन्दु पर आवश्यक बातों की अनदेखी किया है जो पक्षकारों की ओर से आचरण सहित यहां उल्लिखित किये गए हैं।

8. यहां तक कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों कि सि.प्र.सं. के परिशिष्ट ए के फॉर्म 47 और 48 में यह दावा किया गया है कि वादी करार के अपने हिस्से का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और ईप्सित रहा है "और विशेषतौर पर अभी भी तैयार है" अथवा यह कि " वादी उक्त सम्पत्ति की क्रय राशि का प्रतिवादी को भुगतान करने के लिए हमेशा तैयार और ईप्सित रहा है और अभी भी तैयार और ईप्सित है" और यह कि "विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (सी) का पालन नहीं किया गया है और वादपत्र इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कि वादी को करार समय के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए उप–पंजीयक के कार्यालय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में उपस्थित होने के लिए प्रतिवादी–1 की आवश्यकता पड़ी है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बहुत तकनीकी हैं।

समग्र परिस्थितियां और पक्षकारों का आचरण उक्त विवाद को हल करने के लिए प्रासंगिक है और वादी का निवेदन जिसके पक्ष में विक्रय के करार का निष्पादन किया जाना है साबित हुआ अभिनिर्णीत हो चुका है। उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति "अभी भी" पर अनावश्यक जोर दिया है।

9. तत्परता और ईप्सा को साबित करते समय भी वादी से यह अपेक्षा नहीं है कि वादी से यह अपेक्षा किया जाता है कि को करार के समय के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए उप–पंजीयक के कार्यालय में विक्रय का करार के निष्पादक की उपस्थित सुनिश्चित करे। जैसा कि सी.एस. वेंकटेश बनाम एएससी मूर्ति (मृत) और अन्य (2020) 3 एस.सी.सी. 280 के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्णीत किया गया है कि क्या वादी करार का अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार है, न्यायालय को किसी मामले विशेष में को वाद दायर करने के वादी के पूर्व और पश्चात आचरण और उसके उससे जुड़े हुए अन्य परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि क्या वादी करार के अपने हिस्से का पालन करने के लिए हमेशा तैयार और ईप्सित था, किसी मामले विशेष के तथ्यों और परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त यह अवलोकन किया गया है कि वादी के लिए तात्कालिक धन का जमा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह साबित करना उसकी ओर से अनिवार्य है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कि उसके पास प्रतिफल की धनराशि पैदा करने के साधन मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि वादी के पास प्रतिफल की धनराशि जुटाने के साधन मौजूद नहीं थे। यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि पूर्व समय विस्तार और दस्तावेज के अनुसार बिक्री प्रतिफल की शेष राशि रु.16,000/– का भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन के समय किया जाना था और कुल बिक्री प्रतिफल रु.56,000/– में से रु. 40,000/– का भुगतान पहले ही किया जा चुका था और मूल प्रतिवादी–1, जो उसके ससुर हैं, के कहने पर समय को दो बार विस्तारित किया गया था।

10. अब, जहां तक उच्च न्यायालय के निष्कर्ष और अधिनियम की धारा 20 पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी का प्रश्न है भले ही करार का निष्पादन विधिवत किया गया है और वादी को करार के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और ईप्सित पाया गया है, विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री पारित कारित करना स्वतः नहीं है और ऐसा अनुतोष प्रदान करना न्यायालय के विवेक पर है इसको स्वीकार और/या अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में, कई बार यह विक्रय के करार के प्रतिवादी/निष्पादक की ओर से बेईमानीपूर्ण आचरण को झलक दे रहा होगा। यहां तक कि अधिनियम की धारा 20 के तहत विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग को विवेकपूर्ण, ध्यानपूर्वक और यथोचित रूप से प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है। वादी को इस तथ्य के बावजूद विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष से इनकार करके दंडित नहीं किया जा सकता है कि उसके पक्ष में विक्रय के करार का निष्पादन स्थापित और साबित हो गया है और वह करार के अपने भाग का पालन करने के हमेशा तैयार और ईप्सित था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विक्रय के करार के निष्पादन के बावजूद विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री को मंजूरी नहीं देना साबित हो जाता है; भागतः विक्रय प्रतिफल साबित होता है और वादी करार के अपने भाग का पालन करने के हमेशा तैयार और ईप्सित है बेईमानी को प्रोत्साहित करेगा। ऐसी स्थिति में, विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग करते समय संतुलन बिन्दु का झुकाव प्रतिवादी– विक्रय के करार के निष्पादक बजाय वादी के पक्ष में होना चाहिए।

पूर्वोक्त के लिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 में संशोधन कर धारा 10 (ए) को प्रतिस्थापित किया गया है, जो भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं है, लेकिन विवेकाधिकार शक्ति पर एक मार्गदर्शक हो सकता है।अब विधायिका ने भी धारा 10 (ए) को सम्मिलित करने का विचार किया है और अब विनिर्दिष्ट पालन अब विवेकाधीन अनुतोष नहीं है।इस प्रकार यह यह विकल्प खुला है कि क्या उक्त प्रावधान अपील सहित सभी लम्बित कार्यवाहियों में भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा कि नहीं। हालाँकि, एक ही समय में, जैसा कि यहां देखा गया है, यह एक मार्गदर्शक हो सकता है।

10. 1 यह उल्लेख किया जाना अन्यथा भी आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 20 की प्रयोज्यता पर, न तो विद्वान विचारण न्यायालय और न ही विद्वान प्रथम अपील न्यायालय द्वारा कोई विवाद्य विरचित किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर प्रथम बार सि.प्र.सं. की धारा 100 के तहत द्वितीय अपील में विचार किया गया है। अन्यथा भी कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है कि क्यों वादी के पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

11. अब, जहां तक प्रतिवादी सं. 2 – 5 की ओर से कथन किया गया है कि विक्रय के करार को बहुत पहले निष्पादित कर दिया गया था और प्रतिवादी सं. 2 – 5 कई वर्षों से वाद संपत्ति/भूमि के कब्जे में हैं और यदि वाद पर आज्ञप्ति पारित किया जाता है, तो उस दशा में, उन्हें वाद भूमि को खाली करना होगा और इसलिए, वादी के पक्ष में विनिर्दिष्ट पालन के डिक्री को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है का प्रश्न है, उक्त को उपरोक्त कथित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निचली अदालतों द्वारा अभिलिखित तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 वादी के पक्ष में हुए विक्रय के करार के बारे में जानते थे; इसके बावजूद उन्होंने वाद भूमि को चोरी छुपे खरीद लिया। यहां तक कि विक्रय विलेख में उल्लिखित उनके पक्ष में बिक्री प्रतिफल संदिग्ध पाया जाता है।उक्त के अलावा, इन सभी वर्षों में प्रतिवादी सं.2 से 5 कब्जे के समय ने वाद भूमि पर खेती कर उसका लाभ उठाय।इसके विपरीत, तुला का झुकाव वादी के पक्ष में होना चाहिए क्योंकि वादी लंबे समय से चले आ रहे मुकदमें के कारण इन सभी वर्षों में कब्जे से वंचित है।विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.02.1987 के पहले डिक्री पारित कर दिया, लेकिन पहले अपील न्यायालय के समक्ष अपील के कारण और उसके बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील और उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा एक रिमांड आदेश और फिर से निर्णय प्रथम अपीलीय न्यायालय सीखा और उसके बाद उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, भारी समय व्यतीत हो गया है, जो वादी के लिए अलाभकारी नहीं हो सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

12. उक्त के दृष्टिगत उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील संख्या 836/2010 में दिनांक 09.09.2010 को पारित निर्णय और आदेश पोषणीय नहीं है और इसे रद्द करने अपास्त कर दिया जाना चाहिए, तदनुरूप इसे अपास्त किया जाता है। सिविल वाद सं. 254 वर्ष 1984 में दिनांक 07.02.1987 विद्वान सिविल जज, मथुरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री तद्द्वारा बहाल कर इस वाद पर डिक्री पारित किया जाता है और दिनांक 10.10.1976 के विक्रय के करार के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वादी के पक्ष में डिक्री पारित किया जाता है। प्रतिवादी (गण) – प्रतिवादी सं.– 1 के उत्तराधिकारी एवं विधिक उत्तराधिकारी और प्रतिवादी सं. 2 – 5 वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर निष्पादित करें और आपीलार्थी– मूल अपीलार्थी को आज की तारीख से चार सप्ताह के भीतर वाद भूमि के शांतिपूर्ण और खाली कब्जा प्रदान करें।

तदनुसार अपील पर अनुमति प्रदान किया जाता है। वाद व्यय पर कोई आदेश नहीं पारित किया जाता है।

.....

[माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

.....

[माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस]

नई दिल्ली;

26 अक्टूबर, 2021

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।